ई-मेल

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 14 अक्टूबर, **2024**

विषयः- **भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय 8 के प्रस्तर-8.4(V) तथा प्रस्तर-8.4 (VI) में संशोधन।**

महोदय,

कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प/फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए 'भूखण्ड का आकार' मानकों संबंधी उपविधि के प्रस्तर-3.2.6 एवं प्रस्तर-8.3 में संशोधन किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-आई/681559/2024-8-3099/279/2024 दिनांक 02.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विकास प्राधिकरणों एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में शासन द्वारा किये गये संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत कराने एवं इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के अध्याय 8 के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प/फिलिंग स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई एवं बफर स्ट्रिप की लम्बाई एवं चौड़ाई संबंधी प्रस्तर-8.4(V) एवं प्रस्तर-8.4(VI) के वर्तमान प्राविधानों में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

बिन्दु संख्या	भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
8.4(V)	प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी।	प्रत्येक पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की चौड़ाई न्यूनतम 9 मीटर होगी। **लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में भूखण्ड का आकार 20 मी. x 20 मीटर होने की स्थिति में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 7.5 मीटर होगी।**
8.4(VI)	क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सैट-बैक के अतिरिक्त होगी।	क्षेत्रीय मार्ग एवं पेट्रोल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल फिलिंग स्टेशन-कम-सर्विस स्टेशन के मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान आवश्यक है, जो कम से कम 12 मीटर लम्बी एवं 3 मीटर चौड़ी होगी तथा सैट-बैंक के अतिरिक्त होगी। **लोक निर्माण विभाग के शासनादेश के क्रम में भूखण्ड का आकार 20 मी. x 20 मी. होने की स्थिति में बफर स्ट्रिप की लम्बाई न्यूनतम 5.0 मीटर होगी जो न्यूनतम 3.0 मीटर चौड़ी होगी।**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-

2008 (यथा संशोधित) में किये गये उक्त संशोधनों को अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत करते हुए इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Udai Bhanu Tripathi
Date: 14-10-2024 13:03:32

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को बैठक में प्रतिभाग किये जाने एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।

4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कपया शासनादेश की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।

6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव